



उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,  
गुरुकुल कांगड़ी, हरिद्वार-249404  
Website: www.ukpsc.gov.in



(01334) 244143  
(01334) 244282 (FAX)  
07060002410



विज्ञापन संख्या :- A-1/ESO(DR)/E-1/2018

दिनांक 30 अगस्त, 2018

अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा-2018

(Economics and Statistics Officer Exam- 2018)

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	-	30 अगस्त, 2018
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	-	19 सितम्बर, 2018 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
आवेदन शुल्क NetBanking/Debit Card/Credit Card/CSC Connect द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	-	19 सितम्बर, 2018 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

01. अति महत्वपूर्ण निर्देश :-

- (1) अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
- (2) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 19 सितम्बर, 2018 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों।  
अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के संबंध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह तिथि मानी जाएगी जो अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक-पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो।  
विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतया अभ्यर्थी की होगी।
- (3) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- (4) फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरुद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
- (5) आयोग में आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथा:- पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, विषय, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत परीक्षा हेतु मात्र ऑनलाइन आवेदन-पत्र एवं Net Banking/Debit Card/Credit Card/CSC Connect के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा। अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन/शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा।

- (7) प्रश्नगत चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए साक्षात्कार एवं मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा आयोजित की जायेगी। मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा की परीक्षा योजना परिशिष्ट-02 एवं पाठ्यक्रम परिशिष्ट-03 पर उपलब्ध है।
- (8) प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट-04 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को अपनी आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
- (9) मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, अनुभव, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। इस संबंध में यथासमय अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति जारी की जाएगी।
- (10) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन-पत्र भरना सुनिश्चित करें।

02. रिक्तियों का विवरण :- अर्थ एवं संख्याधिकारी पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 14 है। रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण निम्नवत है :-

क्र० सं०	विभाग	पदनाम	कुल रिक्त पद	श्रेणीवार विवरण			
				सामान्य	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग
01.	अर्थ एवं संख्या विभाग (Economics & Statistics Department)	अर्थ एवं संख्याधिकारी (Economics & Statistics officer)	14	10	01	01	02

क्षैतिज आरक्षण का विवरण :-

महिला 30%	03 पद (उत्तराखण्ड सामान्य)	01 पद (उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग)	04 (कुल पद)
-----------	----------------------------	-------------------------------------	-------------

नोट:- (i). क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत अन्य उप-श्रेणियों हेतु कोई भी पद आरक्षित नहीं है।

(ii). शासनादेश संख्या- 196/XVII-2/2011-29(स0क0)/2003, दिनांक 25 मार्च, 2011 के अनुसार अर्थ एवं संख्याधिकारी का पद OA, OL, PB, PD विकलांगता उप-श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु ही चिह्नित है।

03. पद का स्वरूप :- राजपत्रित/अंशदायी पेंशनयुक्त।

04. वेतनमान :- PB-3, रु0 15,600-39,100, ग्रेड पे रु0 5,400/-

05. (1) शैक्षिक अर्हताएँ :- अर्थ एवं संख्याधिकारी (बीस सूत्रीय कार्यक्रम कार्यान्वयन अधिष्ठान में शोध अधिकारी) के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित न्यूनतम शैक्षिक अर्हताएँ होनी आवश्यक है :-

(क) भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी/गणित/व्यावहारिक अर्थशास्त्र/अर्थशास्त्र/वाणिज्य में अंकों के कुल योग में 55 प्रतिशत के साथ स्नातकोत्तर उपाधि;

या

सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्थान से सांख्यिकीय में दो वर्ष का स्नातकोत्तर डिप्लोमा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जिनका स्नातक स्तर पर समाजशास्त्र एक विषय के रूप में रहा हो।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी जिनके पास कम्प्यूटर विज्ञान या कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या उसके समकक्ष या उससे उच्च स्तर की उपाधि हो;



(2) अधिमानी अर्हताएँ:- अभ्यर्थी जिसने :-

(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष की सेवा की हो, या

(ख) नेशनल कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो, उसे अन्य बातें समान होते हुए भी सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायेगा।

**05. (1) Educational Qualification :-** For direct recruitment to the post of Economics & Statistics Officer (Research Officer in Twenty Point Programme) must possess the following minimum qualifications:-

(a) A Post-Graduate degree in Statistics/Mathematical Statistics/Mathematics/Applied Economics/Economics/Commerce with Fifty five percent marks in the aggregate from a University established by law in India.

or

Two years Post-Graduate Diploma in Statistics from any institution recognized by the Government.

(b) Preference shall be given to those having Sociology as one of the subjects in their graduate level.

(c) Preference shall be given to those having degree of Post-Graduate Diploma or equivalent or above in Computer Science or Computer Application.

**(2) Preferential Qualification:-** A candidate who has:-

(a) Served in the Territorial Army for a minimum period of two years, or

(b) Obtained a 'B' certificate of National Cadet Corps, shall, other things being equal, be given preference in the matter of direct recruitment.

**06. आयु :-** आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चयक तिथि 01 जुलाई, 2018 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2018 को न्यूनतम 21 वर्ष तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए। अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 1997 के पश्चात् तथा 02 जुलाई, 1976 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

**07. अधिकतम आयु सीमा में छूट :-** विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु नियमावली एवं समय-समय पर प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट सम्बन्धी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) देखें।

**08. उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है।** ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

**09. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।**

**10. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में निर्धारित प्रारूप पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अवश्य प्राप्त कर लें। निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के परिशिष्ट-01 में उल्लिखित हैं।**

**11. राष्ट्रीयता :-** सेवा में सीधी भर्ती के लिए आवश्यक है कि अभ्यर्थी-

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति, जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा केनिया, यूगांडा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो

परन्तु यह कि उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो।

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण-पत्र प्राप्त करना आवश्यक होगा

परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

**टिप्पणी**— जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण—पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो जारी किया गया हो और न ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है, किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण—पत्र प्राप्त कर लिया जाय।

**12. चरित्र** :- सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सर्वथा उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी इस विषय में स्वयं समाधान कर लेगा।

**टिप्पणी**— संघ, सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्ध सिद्ध दोष व्यक्ति भी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

**13. वैवाहिक प्रास्थिति**— पुरुष, जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों अथवा ऐसी महिला जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो, सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे।

परन्तु, यदि सरकार का समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिए विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

**14. शारीरिक योग्यता**— किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व उससे—

(क) राजपत्रित पद या सेवा के मामले में, आयुर्विज्ञान परिषद् की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी,

परन्तु, पदोन्नति द्वारा नियुक्त अभ्यर्थी के लिए स्वस्थता प्रमाण—पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित नहीं होगा।

**15. आरक्षण** :- ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण, शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों को अनुमन्य होगा। आरक्षण संबंधी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) देखें।

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त (विकलांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आश्रित (डी0एफ0एफ0) तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उपश्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ग) आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट-1" में मुद्रित निर्धारित प्रारूप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ साक्षात्कार से पूर्व संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारूप का उल्लेख "परिशिष्ट-1" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

(घ) विकलांग आरक्षण के लाभ हेतु विकलांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम 40 प्रतिशत की विकलांगता होना अनिवार्य है। जिस-जिस विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु पद आरक्षित हैं, उसी विकलांगता श्रेणी/उपश्रेणी हेतु आरक्षण प्रदान किया जायेगा।

(ङ) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ केवल सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को शासनादेश संख्या : 133/XXXvi(3)/2009/14(1)/2009 दिनांक 16 मार्च, 2009 के अनुसार अनुमन्य होगा। सैन्य कर्मियों के आश्रितों को उक्त आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

**16. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :-**

(01) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) या [www.ukpsconline.in](http://www.ukpsconline.in) पर जायें।

(02) नये यूजर [www.ukpsconline.in](http://www.ukpsconline.in) पर जाकर सर्वप्रथम स्वयं को OTR में पंजीकृत करें। (OTR) में रजिस्टर करने हेतु विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) या [www.ukpsconline.in](http://www.ukpsconline.in) पर उपलब्ध हैं।

(03) पूर्व में पंजीकृत यूजर अपने यूजर आई0 डी0 एवं पासवर्ड से अपने Account में लॉग इन करें।

(04) लॉग इन करने के उपरान्त अभ्यर्थी "Online Application" पर क्लिक करें।

(05) आयोग द्वारा जारी समस्त विज्ञापन प्रदर्शित हो जायेंगे। अभ्यर्थी अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा- 2018 के विज्ञापन के सम्मुख "Click here to Apply" पर क्लिक करें।

(06) अगर अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों को पूर्ण करता है तो अभ्यर्थी द्वारा OTR पर अंकित की हुई जानकारी स्वतः ही ऑनलाईन पर प्रदर्शित हो जायेगी। उक्त के अतिरिक्त आवेदन-पत्र को विज्ञापन के शर्त के अनुसार सही-सही भरें एवं फार्म पर प्रदर्शित निर्देशों का पालन करें। असत्य सूचना देने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा तथा ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा कराये जाने वाली आगामी परीक्षाओं से भी प्रतिवारित कर दिया जायेगा।

(07) आवेदन पत्र पूर्ण रूप से भरने के पश्चात् प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक जाँच लें। भरी गयी प्रविष्टियों में शंका होने पर अथवा किसी त्रुटि की दशा में अभ्यर्थी अपने OTR पर जाकर उक्त प्रविष्टियों को ठीक करवा लें एवं पुनः आवेदन करें। भरी गयी प्रविष्टियों के एकदम सही होने की दशा में ही आवेदन पत्र के अंत में Submit Button पर क्लिक करें। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र में भरी गयी सूचनाओं को ही अन्तिम माना जायेगा।

(08) "You have successfully submitted your application for Economics and Statistics Officer Exam- 2018" का संदेश स्क्रीन पर स्वतः प्रदर्शित होगा।

(09) अभ्यर्थी परीक्षा शुल्क जमा करने हेतु "My Application" पर क्लिक करें। उसके पश्चात् "Please select year" से वर्ष एवं "Select Post Name" से पद Select करें।

(10) प्रदर्शित हुए आवेदन पर Tick कर उसके सम्मुख "Pay Now" पर क्लिक कर अपना परीक्षा शुल्क जमा करें।

(11) परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी चाहें तो त्रुटि होने पर अपना आवेदन रद्द (cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते हैं, किन्तु आवेदन रद्द (cancel) करने पर जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं होगा।

(12) अभ्यर्थी द्वारा लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा अथवा साक्षात्कार परीक्षा के सम्बन्ध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं, तो उन्हें सम्बन्धित परीक्षा व आयोग द्वारा प्रस्तावित समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

**17. शुल्क :- (i) आवेदन-शुल्क निम्नवत् है :-**

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन-शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
01.	सामान्य	रु0 150	रु0 35.40	रु0 185.40
02.	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु0 150	रु0 35.40	रु0 185.40
03.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	रु0 60	रु0 35.40	रु0 95.40
04.	उत्तराखण्ड शारीरिक विकलांग (OA, OL, PB, PD)	कोई शुल्क नहीं	रु0 35.40	रु0 35.40

**नोट :-**

(i) उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित (डी0एफ0एफ0) के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(ii) उत्तराखण्ड भूतपूर्व सैनिक उप-श्रेणी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा-सामान्य श्रेणी या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी की हों, उन्हें उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

(iii) शासनादेश संख्या- 196/XVII-2/2011-29(स0क0)/2003, दिनांक 25 मार्च, 2011 के अनुसार अर्थ एवं संख्याधिकारी का पद OA, OL, PB, PD विकलांगता उप-श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु ही चिह्नित हैं। शासनादेश संख्या- 1673/XXX(2)/2010, दिनांक 10 नवम्बर, 2010 के क्रम में अर्थ एवं संख्याधिकारी पद हेतु विकलांगता की चिह्नित उप-श्रेणियों OA, OL, PB, PD के उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी अभ्यर्थियों हेतु आवेदन-शुल्क से छूट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रु 35.40 देय होगी।

**18. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश :-**

(01) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों एवं समय-समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(02) अभ्यर्थियों हेतु Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules - 2013 एवं प्रथम संशोधन 2016 और उत्तराखण्ड परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 यथा संशोधित 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) व 2016 (चतुर्थ संशोधन) आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध है।

(03) मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को साक्षात्कार से पूर्व ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, अनुभव, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में जमा कराना आवश्यक होगा। इस संबंध में यथासमय अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति जारी की जाएगी।

साक्षात्कार से पूर्व आवेदन-पत्र/प्रमाण-पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी के अर्हता के सम्बन्ध में प्रस्तुत दावों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा तथा उसे साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर प्रसारित की जायेगी।

(04) अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर भी सूचना प्रसारित की जायेगी।

(05) न्यूनतम शैक्षिक अर्हता, मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा एवं साक्षात्कार में बुलाये जाने के लिए यथेष्ट नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को साक्षात्कार/मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा के लिए आहूत किये जाने अथवा चयन के लिए अधिकार नहीं देता है।

(06) अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करते समय मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा हेतु नियत परीक्षा केन्द्र का उल्लेख अवश्य करें। लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा निम्नलिखित नगरों में आयोजित की जायेगी :-

परीक्षा केन्द्र	
क्र०सं०	नगर का नाम
01.	हल्द्वानी (नैनीताल)
02.	हरिद्वार

6

AL

6

नोट :- अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा हेतु नगरों की संख्या घटाई-बढ़ाई जा सकती है। आयोग अभ्यर्थियों को उनके विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते हैं तथा इस संबंध में आयोग द्वारा किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

(07) मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। अर्थ एवं संख्याधिकारी पद हेतु चिह्नित श्रेणी के दृष्टिहीन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्या : 320/XXX(2)/2011 दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुसार श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता इण्टरमीडिएट से अधिक नहीं होगी। श्रुत लेखक की अनुमति आयोग से परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अवश्य प्राप्त करनी होगी, जिसके लिए अभ्यर्थी द्वारा श्रुत लेखक की शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्र शपथ पत्र के साथ प्रार्थना पत्र सहित आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

(08) गलत उत्तरों के लिए दण्ड :- मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा प्रश्न-पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा जो निम्न प्रकार है :-

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेंगे। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उपरोक्तानुसार ही उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(09) उत्तर कुंजी आपत्ति शुल्क:- मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा के प्रश्न-पत्रों से सम्बन्धित उत्तर कुंजी/कुंजियां परीक्षा समाप्ति के उपरान्त आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 10 दिनों के भीतर प्रश्न-पत्र एवं सम्बन्धित उत्तर के संबंध में अपना प्रत्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। अभ्यर्थी से आपत्ति के सापेक्ष प्रति-प्रश्न रु० 50.00 (रु० पचास मात्र) शुल्क के रूप में लिये जायेंगे। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति-प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क जमा नहीं किया गया है तो आयोग द्वारा उक्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जायेगा। भुगतान के पश्चात् शुल्क किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा।

(10) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाये जाते हैं तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाईल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा अन्य किसी इलैक्ट्रॉनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लायें।

(11) कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी के पेपरों से न तो नकल करेगा, न ही अपने पेपरों से नकल करायेगा, न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। प्रश्नगत परीक्षा के प्रवेश-पत्र पर लिखना या लिखा होना अनुचित साधन की श्रेणी में समझा जायेगा।

(12) परीक्षा केन्द्र में आचरण - कोई भी अभ्यर्थी किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार न करे तथा परीक्षा हॉल में अव्यवस्था न फैलायें तथा परीक्षा संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान न करें, ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा। परीक्षा को समाप्ति के उपरान्त उत्तर-पुस्तिका कक्ष निरीक्षक को सौंपकर ही परीक्षा कक्ष के बाहर जायें।

(13) अँगूठे का निशान (Thumb Impression) :- सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर-पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरुष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा





महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर-पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(14) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाईन प्रवेश-पत्र द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

#### 19. साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देश :-

(01) मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आहूत किया जायेगा।

(02) मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार हेतु आहूत अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय आयोग की वेबसाइट [www.ukpsc.gov.in](http://www.ukpsc.gov.in) पर उपलब्ध आवेदन पत्र प्रस्तुत करने होंगे। यह आवेदन-पत्र आयोग द्वारा साक्षात्कार के पूर्व वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे।

(03) अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय अपने समस्त मूल प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करने होंगे, जिनका मिलान अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों से किया जाएगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(04) मूल प्रमाण-पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को पासपोर्ट आकार के दो स्व-प्रमाणित फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(05) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण-पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाण-पत्र' मूल रूप में प्रस्तुत करनी होगी।

(06) मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त प्राप्तांको के आधार पर श्रेणीवार/उप श्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कराया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित करायी जायेगी।

(07) THE UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION (PROCEDURE AND CONDUCT OF BUSINESS) RULES- 2013 के CHAPTER-IV के बिन्दु संख्या- 22(9) में निम्नवत् उल्लेख है :-

**"The Candidates who fail to produce required certificate/certificates on the date of interview (or as directed by the Commission) shall not be allowed to appear at the interview and their candidature shall stand rejected"**

उक्त के क्रम में किसी भी अभ्यर्थी को साक्षात्कार परीक्षा से पूर्व तक ऑनलाईन आवेदन में दावित किये गये समस्त प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा करना अनिवार्य है, अन्यथा उन्हें साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है।

#### 20. सामान्य निर्देश :-

(01) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(02) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं। उन्हें विज्ञापन के अन्त में प्रकाशित पाठ्यक्रम का अध्ययन सावधानी से कर लेना चाहिए। अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लंघन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन-पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(03) परीक्षा के सभी स्तरों पर अभ्यर्थियों का प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका

आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित कर लिया जाता है तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(04) मूल आवेदन-पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(05) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन-पत्र, उपस्थिति-सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(06) हाईस्कूल प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी तथा उक्त प्रमाण-पत्र की स्व-हस्ताक्षरित छायाप्रति संलग्न न किए जाने पर आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(07) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा। अनर्ह सूची आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(08) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। अभ्यर्थियों को पत्राचार में अपने हस्ताक्षर वैसे ही करने होंगे जैसा कि उन्होंने ऑनलाईन आवेदन-पत्र में अपलोड किये हैं।

(09) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का समय-समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(10) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को, आवेदन-पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण-पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरुद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि आयोग को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(11) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules – 2013 (प्रथम संशोधन 2016)** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(12) कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:- अभ्यर्थियों को सचेत किया है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(13) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :-


01. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात् (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 02. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर-प्रत्रक/उत्तर-पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 03. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए



अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट-रचित प्रवेश-पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 04. जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 05. गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 06. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न-पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 07. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 08. उत्तर-पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 09. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर-पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर-पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रॉनिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाण-पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया है, अथवा 13. उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक (i) अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(14) आरक्षण की दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुसूचित-जाति/अनुसूचित-जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए जाति प्रमाण-पत्र का निर्धारित प्रारूप विज्ञापन के साथ परिशिष्ट-01 में प्रकाशित किया गया है। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण-पत्र इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से तीन वर्ष पूर्व से अधिक समय का नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार क्षैतिज आरक्षण एवं आयु में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर जारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।



  
(आनन्द स्वरूप)  
सचिव।

परिशिष्ट-01

उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण-पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण-पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
..... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड की .....  
..... जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि  
समय-समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि  
उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी  
गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा अथवा  
उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला  
..... में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर .....

दिनांक :

पूरा नाम .....

मुहर :

पदनाम .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/  
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

5 10

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण-पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम .....  
..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तराखण्ड  
के राज्य की ..... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची-1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची-2 से अधिसूचना संख्या-22/16/92-का-2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ..... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के  
ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
.....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

हस्ताक्षर .....

दिनांक :

पूरा नाम .....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी

मजिस्ट्रेट/उप जिला

मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

२ २

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण-पत्र  
शासनादेश संख्या 4/23/1982-2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर, 1997  
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)  
प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .....  
सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री ..... निवासी ग्राम .....  
.....तहसील ..... नगर ..... जिला .....  
उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व  
सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता  
संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी(आश्रित) .....  
..... पुत्र/पुत्री/पौत्र/ अविवाहित पौत्री उपयुक्त अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त  
श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान :

हस्ताक्षर .....

दिनांक :

पूरा नाम.....

पदनाम .....

मुहर .....

जिलाधिकारी .....

(सील) .....

क

ए

## निःशक्तता प्रमाण-पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या - .....

तारीख .....

निःशक्तता प्रमाण - पत्र

चिकित्सा बोर्ड के  
अध्यक्ष द्वारा विधिवत  
प्रमाणित उम्मीदवार  
का हाल का फोटो  
जो उम्मीदवार की  
निःशक्तता दर्शाता  
हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 .....  
सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री ..... आयु..... लिंग..... पहचान चिन्ह.....  
.....निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (फॉल्लिज)

(i) दोनों टांगे (बी एल) - दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं

(ii) दोनों बांहें (बी ए) - दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(iii) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) - दोनों टाँगें और दोनों बांहें प्रभावित

(iv) एक टांग (ओ एल) - एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विघ्नम (अटैक्सिस)

(v) एक बांह (ओ ए) - एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुँच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विघ्नम (अटैक्सिस)

(vi) पीठ और नितम्ब (बी एच) - पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)

(vii) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्ल्यू) - मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधापन अथवा अल्प दृष्टि -

(i) बी - अंधता

(ii) पी बी - ऑशिक रूप से अंधता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी-बधिर

(ii) पी डी - ऑशिक रूप से बधिर

५

४९

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/ इसमें सुधार होने की सम्भावना है/सुधार होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। .....वर्षों ..... महीनों की अवधि के पश्चात पुननिर्धारण किए जाने की अनुशंसा की जाती है। \*
3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत ..... है।
4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:-

- (i) एफ-अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हाँ/नहीं
- (ii) पी पी-घकेलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हाँ/नहीं
- (iii) एल-उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हाँ/नहीं
- (iv) के सी-घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हाँ/नहीं
- (v) बी-झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हाँ/नहीं
- (vi) एस-बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।  
हाँ/नहीं
- (vii) एस टी-खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हाँ/नहीं
- (viii) डब्लू-चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हाँ/नहीं
- (ix) एस ई-देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हाँ/नहीं
- (x) एच-सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हाँ/नहीं
- (xi) आर डब्लू-पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।  
हाँ/नहीं

डा०.....)

....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

अधिकारी /

हस्ताक्षरित

(डा०.....)

सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

(डा०.....)


सदस्य  
चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा

अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति

(मुहर सहित)

\* जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट-02

अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा- 2018 हेतु परीक्षा योजना

अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा- 2018 हेतु प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार 02 स्तर सम्मिलित हैं, यथा 1. मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा 2. साक्षात्कार परीक्षा।

**मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा**

**(कुल 200 अंक)**

अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा- 2018 हेतु मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा 02 प्रश्न-पत्रों की होगी। प्रथम प्रश्न-पत्र अनिवार्य प्रश्न-पत्र तथा द्वितीय प्रश्न-पत्र में वैकल्पिक विषय होंगे। अभ्यर्थियों को द्वितीय प्रश्न-पत्र हेतु वैकल्पिक विषयों की सूची में से कोई एक विषय चुनना होगा। प्रत्येक प्रश्न-पत्र 100 अंकों का तथा दो-दो घण्टे अवधि के होंगे। दोनों प्रश्न-पत्र वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्पीय प्रकार के होंगे। दोनों प्रश्न-पत्रों में प्रत्येक प्रश्न एक अंक का होगा। प्रथम प्रश्न-पत्र (अनिवार्य प्रश्न-पत्र) में दो भाग होंगे। भाग-एक में सामान्य अध्ययन एवं उत्तराखण्ड राज्य सम्बन्धी ज्ञान के 50 प्रश्न तथा भाग-दो में सांख्यिकीय विश्लेषण की तकनीकें सम्बन्धी 50 प्रश्न होंगे। द्वितीय प्रश्न-पत्र में वैकल्पिक विषय से सम्बन्धित प्रश्नों की संख्या 100 होगी। उत्तर पत्रक ओ0एम0आर0 आधारित होंगे। मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम परिशिष्ट-04 में उल्लिखित है।

**द्वितीय प्रश्न-पत्र के वैकल्पिक विषय**

01. सांख्यिकी/गणितीय सांख्यिकी।
02. गणित
03. व्यावहारिक अर्थशास्त्र/अर्थशास्त्र।
04. वाणिज्य।

नोट :- मूल्यांकन के उद्देश्य से अभ्यर्थियों को मुख्य लिखित (वस्तुनिष्ठ) परीक्षा के दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित होना बाध्यकारी है। यदि कोई अभ्यर्थी दोनों प्रश्न-पत्रों में सम्मिलित नहीं होता है तो वह अनर्ह (Disqualify) हो जायेगा।

साक्षात्कार परीक्षा-

**(कुल 25 अंक)**

कुल अंक 225

## परिशिष्ट- 03

अर्थ एवं संख्या अधिकारी पद हेतु पाठ्यक्रम  
(उत्तराखण्ड अर्थ एवं संख्या विभाग)  
सामान्य अध्ययन एवं सांख्यिकीय विश्लेषण की तकनीकें  
(लिखित प्रकृति-वस्तुनिष्ठ प्रकार)  
प्रथम प्रश्न-पत्र (अनिवार्य प्रश्न-पत्र)

समयावधि : 02 घण्टे

कुल प्रश्नों की संख्या : 100

अधिकतम अंक : 100

### भाग-1

#### सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या : 50

अंक : 50

1. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सम-सामयिक घटनाएं
2. खेल एवं मनोरंजन
3. भारत का इतिहास (प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक) एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
4. भारत एवं विश्व का भूगोल
5. अर्थव्यवस्था- प्राकृतिक संसाधन, नियोजन, औद्योगिकी एवं कृषि, सतत एवं समावेशी विकास
6. प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबन्धन
7. भारत में मानव संसाधन विकास सूचकांक एवं सामाजिक विकास सूचकांक।
8. भारतीय संविधान का प्राथमिक ज्ञान-भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मौलिक अधिकार तथा कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, संघीय कार्यपालिका- राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, लोकपाल, संघीय व्यवस्थापिका- संसद, न्यायपालिका -सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता तथा उच्च न्यायालय, राज्य सरकार तथा प्रशासन - राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिपरिषद, राज्य विधान सभा, पंचायती राज संस्थाएं, लोकायुक्त, संवैधानिक संस्थाएँ।
9. अधिकारों से संबंधित मुद्दे - शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, सेवा का अधिकार, समाधान योजना, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम - 1955, उपभोक्ता संरक्षण का अधिकार, मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणाएं (1948), भारत में मानवाधिकार तथा कर्तव्य, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं अन्य संबंधित मुद्दे, संयुक्त राष्ट्र संगठन- उद्देश्य और उपयोगिता, सुरक्षा-परिषद और भारत।
10. सामान्य विज्ञान- भौतिकी, रसायन एवं जीवन विज्ञान का प्राथमिक ज्ञान एवं दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता।

11. **विकास एवं पर्यावरणीय समस्याएं**—विकास से जुड़ी हुई मुख्य समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि, ग्रामीण एवं नगरीय विकास के विभिन्न आयाम—सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जागरूकता, स्वास्थ्य, संचार एवं बुनियादी सेवाओं का विकास, ग्रामीण परिवेश एवं शहरी परिवेश के मध्य संतुलन इत्यादि, पर्यावरणीय प्रदूषण, ग्रीन हाऊस गैस, पर्यावरणीय कानून, संसाधन एवं संरक्षण, वन्य जीव संसाधन, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण)।
12. **जैव-प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे**—जैव प्रौद्योगिकी, आनुवांशिक रूप से विकसित पौधे, अंग प्रत्यारोपण एवं इससे सम्बन्धित समस्याएं, प्रदूषण का जैविक उपचार, सूक्ष्म जीव संक्रमण: विषाणु, जीवाणु, प्रोटोजोआ तथा कवक तथा अन्य मानव संक्रमण की प्रस्तावना। सूक्ष्म जीव द्वारा उत्पन्न संक्रमण की मूलभूत जानकारी जैसे— डायरिया, दस्त, कॉलेरा, टीबी, डेंगू, मलेरिया, फाइलेरिया, स्क्रब टाइफस, विषाणु संक्रमण जैसे— एड्स, एनसिफेलाइटिस, चिकनगुनिया, बर्ड फ्लू एवं फैलने के दौरान निवारक/रोकथाम के उपाय। जानवरों द्वारा मनुष्यों में फैलने वाली बीमारियां, प्रतिरक्षा की प्रारम्भिक जानकारी, टीके एवं सार्वभौमिक टीकाकरण।
13. **ऊर्जा एवं जल संसाधन** — ऊर्जा संकट, ऊर्जा संरक्षण, परम्परागत ऊर्जा स्रोत, नवकरणीय ऊर्जा, जैविक ईंधन, भारतीय जल संसाधनों के प्रकार, उपयोग तथा प्रबन्धन।
14. **अंतरिक्ष एवं सुदूर संवेदन**— भारतीय स्पेस प्रोग्राम तथा औद्योगिकी, कृषि, दूर संचार, दूरदर्शन, शिक्षा में उपयोग, रिमोट सेंसिंग, भूमण्डलीय स्थिति निर्धारण प्रणाली (जी0आई0एस0) और मौसम की भविष्यवाणी में इसकी उपयोगिता, आपदा चेतावनी, पानी, तेल और खनिज संसाधन विकास, शहरी योजना और ग्रामीण विकास क्रियाएँ, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और भारतीय रिमोट सेंसिंग (आई0आर0एस0) भारतीय प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम।
15. **सूचना तकनीक एवं उपयोग**: कम्प्यूटर के मूलभूत भाग, संरचना एवं उपयोग, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर, प्रिंटर, इनपुट/आउटपुट उपकरण एवं मैमोरी। कम्प्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट—ब्राउजर, ई-मेल, ई-कामर्स एवं एम-कामर्स। मोबाईल तकनीक—2जी, 3जी एवं 4जी संचार प्रणाली।

#### उत्तराखण्ड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान

1. **सामान्य भूगोल** — स्थिति एवं विस्तार, संरचना व उच्चावचन, जलवायु, अपवाह तंत्र, जनांकिकी संरचना, यातायात एवं संचार—तंत्र इत्यादि।
2. **इतिहास, संस्कृति एवं उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन** इत्यादि।
3. **प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन** — जलागत प्रबन्धन, जल, वन, खनिज, पशुपालन, कृषि एवं बागवानी, वन्य जीव संरक्षण, पार्क एवं अभ्यारण्य, जैव संरक्षित क्षेत्र इत्यादि।




4. राजनीतिक व प्रशासनिक ढांचा — राज्य, जनपद व तहसील इत्यादि।
5. शिक्षा एवं संस्कृति— उत्तराखण्ड के शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान, बोली/भाषा, रीति रिवाज, उत्सव व मेले इत्यादि।
6. समाज सुधार आंदोलन— कुली बेगार, डोला— पालकी, नायक वयवस्था एवं वन आंदोलन, इत्यादि।
7. आर्थिक विकास— जल—विद्युत्, औद्योगिक, औद्यानिक एवं पर्यटन तथा जड़ी—बूटी उद्योग संवर्द्धन इत्यादि।
8. शासन एवं गैर—सरकारी कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाएं।
9. समसामयिक महत्वपूर्ण घटनाएं, आपदाएं ।
10. खेल कूद एवं मनोरंजन।

## भाग—2

सांख्यिकीय विश्लेषण की तकनीकें

प्रश्नों की संख्या : 50

अंक : 50

Statistics, Definition, Scope, Functions, Limitations, Distrust & Misuse.

Collection of data: Primary Data, Secondary Data, Elementary Idea of Sampling Techniques, Classification. Tabulation & Frequency Distribution; Presentation of Data: Graphical and Diagrammatic.

Measures of Central tendency: Arithmetic Mean, Geometric Mean, Harmonic Mean, Median & Mode.

Measures of Dispersions: Range, Quartile Deviation, Mean Deviation, Standard Deviation and Coefficient of Variation, Measures of Skewness & Kurtosis.

Index Number: Meaning, Importance, Construction and their Calculation, Change of Base, Splicing, Deflating.

Simple Correlation: Linear & Rank, Simple Regression Analysis.



Fundamentals of Mathematics: Elementary Set Theory; Number System, Elementary Algebra, Co-ordinate Geometry; Straight Lines; Rates Ratios, Percentage & Logarithms.

Permutations & Combinations, Elementary, Probability Theory, Additive and Multiplicative Theorems, Conditional Probability.

Indian Statistics: Population, Labour, Money & Banking, National Income, Agricultural Production, and Industrial Production, Indian Statistical Systems, C.S.O, N.S.S.O, Directorate of Economics & Statistics (D.E.S.), Govt. of Uttrakhand, Structure, Functions.

नोट – प्रत्येक प्रश्न 01 अंक का होगा।

6 al

**Syllabus for The Post of Economics and Statistics Officer  
(Department of Uttarakhand Economics and Statistics)**

**GENERAL STUDIES and TECHNIQUES OF STATISTICAL ANALYSIS**

(Written Nature -Objective Type)  
**FIRST PAPER (Compulsory Paper)**

Time - 02 Hours

Total Number Of Questions - 100

MM: 100

Part- I

Number Of Questions - 50

Marks: 50

**GENERAL STUDIES**

1. Current events of National and International importance.
2. Sports and Entertainment.
3. Indian History (ancient, medieval, modern ) and Indian National Movement
4. Geography of India and The World.
5. Economy- Natural Resources, Planning, Industry and Agriculture, Sustainable and Inclusive Development.
6. Natural Calamities and Disaster Management.
7. Human Resource Development Index in India and Social Development Index.
8. **Basic Knowledge of Indian Constitution** - Salient features of Indian Constitution, Fundamental Rights and Duties, Directive Principles of State Policy. **The Union Executive** – The President, Prime Minister, Council of Ministers, Lokpal, **The Union Legislature** – Parliament, **The Judiciary** – Supreme Court Judicial review & Judicial Activism and High Court, **State Government and Administration** – Governor, Chief Minister and Council of Ministers, Legislative Assembly, Panchayati Raj Institutions, Lokayukt, Constitutional bodies.
9. **Rights related issues** – Right to Education, Right to Information, Right to Service, Samadhan Yojana, Right to civilian protection Act-1955, Right to Consumer protection, Universal Declaration of Human Rights (1948), Human Rights and Duties in India, National Human

by 



Communication Technology, Software and Hardware, Printers, I/O devices and Memory. Computer Network, Internet-Browser. E-mail. E-commerce and M-commerce. Mobile Technology- 2G, 3G and 4G Communication.

### **General Knowledge Related to Uttarakhand State**

- 1. General Geography-** Location and Extent, Structure and Relief, Climate and Drainage systems, Demography, Transport and Communication network etc.
- 2. History, Culture and** Uttarakhand Rajya nirman Andolan etc.
- 3. Natural and Economic Resources-** Watershed management, Water, Forest, Minerals, Livestock, Agriculture and Horticulture, Wild-life conservation, Parks, Sanctuaries and Bio sphere reserves.
- 4. Political and Administrative Setup-** State, District and Tehsil levels etc.
- 5. Education and Culture-** Educational and Training Institutions, Dialects and Languages, Customs and Traditions, Festivals, and Fairs etc.
- 6. Social Reform Movements** – Coolie *Begar*, *Dola -palki*, *Naik* system and Forest Movements etc.
- 7. Economic Development-** Hydro-electricity, Industry, Horticulture, Tourism, and Herbal Industry development etc.
- 8. Government and Non Government Developmental Plans and Welfare schemes.**
- 9. Important Contemporary events ,Disasters.**
- 10. Sports and Entertainment.**

#### **Part- 2**

**Number Of Questions - 50**

**Marks: 50**

### **TECHNIQUES OF STATISTICAL ANALYSIS**

Statistics, Definition, Scope, Functions, Limitations, Distrust & Misuse.

*[Handwritten signatures]*

Collection of data: Primary Data, Secondary Data, Elementary Idea of Sampling Techniques, Classification. Tabulation & Frequency Distribution; Presentation of Data: Graphical and Diagrammatic.

Measures of Central tendency: Arithmetic Mean, Geometric Mean, Harmonic Mean, Median & Mode.

Measures of Dispersions: Range, Quartile Deviation, Mean Deviation, Standard Deviation and Coefficient of Variation, Measures of Skewness & kurtosis.

Index Number: Meaning, Importance, Construction and their Calculation, Change of Base, Splicing, Deflating.

Simple Correlation: Linear & Rank, Simple Regression Analysis.

Fundamentals of Mathematics: Elementary Set Theory; Number System, Elementary Algebra, Co-ordinate Geometry; Straight Lines; Rates Ratios, Percentage & Logarithms.

Permutations & Combinations, Elementary, Probability Theory, Additive and Multiplicative Theorems, Conditional Probability.

Indian Statistics: Population, Labour, Money & Banking, National Income, Agricultural Production, and Industrial Production, Indian Statistical Systems, C.S.O, N.S.S.O, Directorate of Economics & Statistics (D.E.S.), Govt. of Utrakhand, Structure, Functions.

Note- Each Multiple choice question shall be of 01 Mark

6 AP

## Optional Subject

### (Second Paper)

**(NOTE :** Choose / Select one subject and give answers on the following subjects.)

#### (01) Statistics/Mathematical Statistics

(Written Nature -Objective Type)

Total Number Of Questions - 100

MM: 100

Time - 02 Hours

#### Descriptive Statistics

Measures of Central tendency and Dispersion. Moments, Skewness and Kurtosis. Measures of association and contingency.

Linear Regression and correlation for two variables, Rank Correlation, Partial and Multiple Correlation for three variables only. Principle of least squares and fitting of curves.

#### Probability and Distributions

Random Experiments and Sample space, Classical and Axiomatic definition of Probability, Theorems of probability, Bayes Theorem, Independence of events,

Discrete and continuous random variables and Distribution functions (univariate and bivariate), Marginal and Conditional distributions, Independence of random variables. Expectations, Moments, Moment generating and Characteristic Functions, Probability Inequalities (Tch ebychev's, Markov and Jensen)

Weak and Strong Laws of Large Numbers, Central Limit Theorem (Lindberg-levy and Dernoivre's Laplace).

Binomial, Poisson, Negative Binomial, Uniform, Normal, Exponential and bivariate normal distribution. Sampling distributions of  $t$ ,  $\chi^2$  and  $F$ .

#### Statistical Inference

Properties of Estimators, Cramer Rao Inequality, Methods of Estimation- Method of Moments, Method of Maximum Likelihood, Interval estimation, Tests based on  $t$ ,  $\chi^2$ ,  $F$  and  $Z$ . Large sample Tests.

Simple and Composite Hypotheses, Two kinds of Errors, Critical regions, Level of Significance, Size and Power of the test, Unbiased tests, MP and UMP tests, Neymann Pearson's lemma and its applications. Likelihood ratio tests.

Order Statistics, their marginal and joint distributions. Distributions of Maxima and Minima, Median, Range, Moments of order Statistics.

6/21

Non parametric tests: Ordinary sign test, Wilcoxon signed ranked test, Wald – Wolfowitz run test, Mann –Whitney U test, Median test. Kolmogrov – Smirnov one and two sample test.

### Sampling Theory

Concepts of population and samples, Sampling Units and Sampling Frame, Sampling and Non-sampling Errors, Simple random sampling from finite population with and without replacement, Stratified Sampling, Systematic sampling, Cluster sampling (equal cluster size case), Probability proportional to size sampling, Ratio and Regression methods of estimation.

### Designs of Experiment

Principles of experimental designs, Analysis of Variance for one- way, two -way with one observations per cell ,Completely Randomized Design, Randomized Block Design and Latin Square Designs, Missing plot techniques in RBD and LSD.  $2^2$  and  $2^3$  factorial experiments. Balanced Incomplete Block Designs.

### Applied Statistics

**Statistical Quality Control-** Concepts of Statistical Quality Control, Control charts for variables and attributes, Natural tolerance limits and specification limits: Modified control limits. Single and Double Sampling Inspection plan, Producer's and Consumer's risk OC and ASN Function.

**Demography** - Measurement of Mortality; Crude Death Rate, Specific Death Rate, Standardized Death Rate, Infant Mortality Rate. Measurement of fertility: Crude Birth Rate, General Fertility Rate, Age Specific Fertility Rate, Total Fertility Rate, relation between TFR and CBR, Gross Reproduction Rate and Net Reproduction Rate, Construction of a complete life table and its uses.

**Index Numbers**-Index numbers and their construction, Uses of index numbers. Laspeyer's, Paashce's, Marshall –Edgeworth and Fisher's index Numbers, Tests for index numbers. Fixed base and Chain base Index Numbers, Cost of living index numbers. Base shifting and Splicing.

**Time Series**-Components of time series, Measurement of Trend and seasonal components, Autocorrelation and Periodogram Analysis.


### Multivariate Analysis

Multivariate normal distribution, Wishart distribution(without proof) and properties,  $T^2$  statistic.

### Operations Research

Operations Research and its application, Linear programming problems : Formulation and solutions by graphical and Simplex methods. Primal and Dual Problems.

Q AP



**Theory of Games** Two person zero sum game, Pure and Mixed strategies, Minimax (Maximin) criterion and Optimal Strategy, Solution of games with and without saddle point, Theory of dominance.

### Numerical Analysis

Finite differences, difference operators, Newton's forward and backward interpolation formula, Interpolation with unequal interval arguments, Lagrange's formula, Newton's divided difference formula, Stirling's and Bessels formulae, Numerical Integration, Trapezoidal rule, Simpson's 1/3 and 3/8 rule, Weddle's rule.

### Real and Complex Analysis

Finite and Infinite sets, Countable and Uncountable sets, Bounded Sets, Supremum and Infimum, Sequences and Series, Convergence, Uniform convergence.

Analytic Function, Cauchy's theorem, Complex Integration, Zeroes and Poles of Functions, singularities.

### Differential Calculus and Differential Equations

Limits and continuity, Differentiability, Rolle's Theorem, Mean Value Theorem, Taylor's Theorem, Maxima and Minima.

Order and Degree of a differential equation, Differential Equation of first order and first degree, Variables Separable, Homogeneous, Linear and Exact Differential equations.

### Linear Algebra

Algebra of Matrices. Rank and determinants of Matrices, Inverse Matrix. Eigenvalues and Eigenvectors, Quadratic Forms and classification of quadratic Forms.

Note- Each Multiple choice question shall be of 01 Mark

69

(02) MATHEMATICS  
(Written Nature - Objective Type)  
Total Number Of Questions - 100

Time - 02 Hours

MM: 100

1. ABSTRACT ALGEBRA:

(i) Theory of Equations: Real and complex roots of polynomial equations. Relations between their roots and coefficients. Elementary symmetric functions, Solutions of cubic and biquadratic equations.

(ii) Modern Algebra: Sets, Relations, Equivalence relations. Groups, Sub groups, Cyclic and permutation groups, Normal subgroups, Homomorphism of groups, Quotient groups, Isomorphism theorems. Rings, Sub rings, Ideals, Integral domains and Fields. Principal ideal domains, Unique factorization domains and Euclidean domains.

2. LINEAR ALGEBRA:

(i) Vector Spaces: Vector spaces, Subspaces, Linear dependence and Independence of vectors, Basis and dimension of a vector space, Examples of infinite dimensional spaces, Ordered bases and coordinates.

(ii) Linear transformations: Definition, Rank and nullity theorem, Algebra of linear transformations, Matrix form, Change of basis, Linear functional, Dual spaces, Canonical forms, Eigen-values of linear operators, Eigen spaces, Minimal polynomial, Diagonalization.

(iii) Inner Product Spaces: Definition of inner product of two vectors, orthogonal and orthonormal vectors, Gram-Schmidt process for orthogonalisation.

3. NUMERICAL ANALYSIS:

(i) Errors: Exact and approximate numbers, Rounding of numbers, Significant and correct digits. Various types of errors encountered in computations, Propagation of errors.

(ii) Solution of equations: Solution of linear simultaneous equations by LU-decomposition method and Gauss-Seidel iterative method. Roots of non-linear equations by Newton-Raphson method, a fixed point iterative method with their convergence criteria for one variable problems.

(iii) Interpolation: Finite difference operators, Newton, Bessel and Stirling's interpolation formulae. Lagrange and Newton divided difference formulae for unequal intervals.

(iv) Numerical differentiation and Integration: First and second order differentiation by various interpolation formulae and their use in solving Boundary Value Problems. Trapezoidal, Simpson's  $1/3^{\text{rd}}$  and  $3/8^{\text{th}}$  rules with errors, Gauss-Legendre 2-points and 3-points formulae.

(v) Solution of ODE: Solution of first order ordinary differential equation by Picard's method, Euler and Euler-modified method, Runge Kutta fourth order method.

4. CALCULUS:

Limit, continuity and differentiability of a function of two variables. Partial differentiation. Euler's theorem for homogeneous functions. Taylor's theorem. Maxima and minima of a function of two variables. Lagrange's multiplier method. Remainder of Taylor's series. Double

*Handwritten marks:* A blue scribble on the left and a blue signature on the right.

and Triple integrals. Beta function, Gamma function, Dirichlet integral, Jacobians and their applications in finding the area, volume, centre of gravity and moment of inertia.

#### 5. ANALYTICAL/DIFFERENTIAL GEOMETRY:

(i) Analytical Geometry: Two dimensional geometry of straight lines and conics referred to Cartesian and polar coordinates system. Three dimensional geometry for planes, Straight lines, Spheres, Cones, Cylinders and Quadric surfaces.

(ii) Differential Geometry: Curves in space, Curvature and Torsion, Frenet's formulae with their applications.

#### 6. DIFFERENTIAL EQUATIONS:

Solution of linear ordinary differential equations with constant coefficients. Euler- Cauchy Equations. Solution of second order differential equation by changing dependent variable and independent variable. Method of variation of parameters. Series solution about ordinary and singular points. Solution of Bessel and Legendre equations. Elementary properties of Bessel functions and Legendre polynomials.

#### 7. COMPLEX ANALYSIS:

Algebra of complex numbers, Limit, Continuity, Differentiability and Analyticity of a function of a complex variable. Cauchy- Riemann equations, Harmonic functions, Method for finding the Harmonic conjugate, Milne's method for analytic function. Power series, radius of convergence, Uniform convergence. Laurent series, Zeros and poles of a function. Residue at singular points. Cauchy- Residue Theorem, Contour integration and its application. Conformal and Bilinear transformation with applications.

#### 8. MECHANICS:

(i) Statics: Conditions of equilibrium for a system of forces in 3D. Finite and infinitesimal displacement of a rigid body. Work, Potential energy and Virtual work. Center of gravity of a system. Common Catenary,

(ii) Dynamics: Motion of a particle in a straight line, simple harmonic motion and its applications. Projectiles, Central forces, Motion under resisting medium. D'Alembert's principle and Lagrange's equation of motion, dissipation, Hamilton's principle and applications.

#### 9. MATHEMATICAL ANALYSIS:

(i) Sets: Open sets, Closed sets and Countable sets.

(ii) Algebra of real sequences: Limit points of a sequence, Convergent sequences, Cauchy's general principle of convergence.

(iii) Infinite Series: Infinite Series with different tests of convergence. Uniform convergence of the series of functions. Weierstrass M-test.

6

(iv) Riemann integral: Definition, Refinements of partitions, Conditions of integrability, Riemann sums, Some integrable functions. Fundamental theorem of calculus.

(v) Metric spaces: Definition and examples. Convergence and completeness. Continuity and uniform continuity, Compactness, Connectedness.

(vi) Lebesgue integral: Measurable sets, sets of measure zero, Borel sets. Non-measurable sets. Measurable functions, Measurability of the sum, difference, product and quotient of measurable functions. Lebesgue integral for various types of functions.

(vii) Laplace transform: Definition of Laplace transform and its existence. Properties and its application in solving differential equations related to initial value problems.

**Note-** Each Multiple choice question shall be of 01 Mark

6 20

### (03) Economics/Applied Economics

(Written Nature -Objective Type)

Time - 02 Hours

Total Number Of Questions - 100

MM: 100

1. **Micro Economics** :- Consumer's Behaviour, Law of Demand & Utility Analysis, Equi-Marginal Utility, Indifference Curve Approach, MRS, Budget Line, Revealed Preference Approach; Demand Forecasting and Estimation; Concept of Elasticity of Demand and Supply; Elasticity Types: measurement and numerical problems, Decomposing Price Effect into income and substitution effect; Consumer's Surplus; Production Function and the Laws of Returns, Returns to Scale & Producer's Equilibrium; Fixed Coefficient Production Function, RTS, Iso-quant, MRTS, Iso-cost Line, Iso-revenue Line; Internal & External Economies of Scale; Cost and Revenue Function; Relationship between MR & Price, Deriving AR & MR from TR; Relationship between AC, MC and TC; Pricing under various forms of market : Perfect, Monopolistic, Monopoly, Oligopoly: Pricing of factors of production; Welfare Economic : Pareto Optimality.
2. **Macro Economics** :- National Income : Various Concepts, Measurement and Limitation (GNP, GDP, NDP, NNP, Personal Income, Disposable Income, Nominal GDP and Real GNP); Methods of National Income Accounting; Determinants of National Income & Employment : Classical, Keynesian and Neo-Classical theories; Consumption Function- Propensity to Consume and Propensity to Save; Investment Function- Determinants, Marginal Efficiency of Capital and Theory of Multiplier; Macro Theories of Distribution: Classical and Kaldor; Elementary Treatment of General Equilibrium.
3. **Economic Growth and Development** :- Meaning and Measurement; Measurement of Development : Conventional, HDI, Gender Development Index and Human Poverty Index; Growth Models: Harrod and Domar, Mahalanobis, Unbalanced v/s Balanced, Big Push and Unlimited Supply of Labour; Globalisation and LDCs; Sustainable Development: Goals.
4. **Money, Banking and Public Finance** :- Concepts & Functions of Money; Measures of Money Supply ( $M_1$ ,  $M_2$  &  $M_3$ ); Quantity Theory of Money-Fisher, Cambridge, Keynesian Fundamental Equations; Derivation of Money Multiplier; Monetary Policy; Functions of Central Bank of a Nation; Quantitative Credit Controls; Inflation- Types, Causes, Effects & Controls; Phillips Curve Analysis; Public Finance : Sources of Public Revenue; Impact, Incidence and Effects of Taxation, Kinds of Taxation. Public Expenditure:- Effects & Evaluation : Savings, Investment and Growth. Public Debt- Sources, Effects, Burden and its management. Fiscal Policy.
5. **Demography** : Demographic Concepts: Population Pyramid, Density, Sex ratio, Total Fertility Rate, Mortality, Population Growth rate; Measures of Fertility & Mortality; Life Table; Population and Economic Development; Migration and Urbanization.
6. **International Economics** :- Theories of International Trade: Comparative Advantage & Heckscher-Ohlin; Terms of Trade; Tariffs; Trade Diverting Custom Union; Foreign Trade Multiplier, Increase in imports & Reverse working of Foreign Trade Multiplier; Balance of Payments & Adjustment Mechanism; Exchange Market:- Theories of Exchange rate determination.
7. **Indian Economy** :- Sectoral Distribution of National Income; Trends in Population Growth & Demographic Changes; NSSO and CSO; Poverty in India:- Measurement, Nature & Poverty Alleviation Programmes; Unemployment : Nature, Problems and Remedies. Economic Planning in India : Constitution, Role and Functions of NITI Ayog. Necessity and

6

al

Impact of Demonetization. Centre- State Financial Relations :- Finance Commission & GST (Significance & Implementation)

Role and Problems of Agriculture:- Share of agriculture in National Income and Workforce; Rural Credit, Indebtedness and NABARD; Agricultural Marketing; Food Security and Climate Change;

Industrialization : Role of Public and Private Sector; Role of FDI, Foreign Capital & MNCs; New Economic Policy; Role of Banks; Make in India; Prospects of Digitization in India.

8. **Uttarakhand Economy** :- Features; Natural Resources; Infrastructure; Human Resources; Main Economic Problems: Natural Disaster, Migrations, Environmental Degradation.

Note- Each Multiple choice question shall be of 01 Mark

5 21

**(04) Commerce**

(Written Nature -Objective Type)

Total Number Of Questions - 100

Time - 02 Hours

MM: 100

**1- Financial & Management Accounting**

Accounting Concepts, Capital & Revenue, Financial Statements-Profit and Loss account, Balance Sheet, Advanced Company accounts- Issue, Forfeiture, Liquidation, Valuation of Shares, Amalgamation, Absorption & Reconstruction, Holding Company accounts.

Cost and Management accounting - Marginal costing and Break-even analysis, Standard costing- Budgetary Control, Costing for decision making, Responsibility accounting, Valuation of goodwill & shares.

**2- Banking & Financial Institutions**

Central banking.

Banking sector reforms in India, NPA, Capital adequacy norms.

Latest trends in E-Banking.

Development Banking- IDBI, IFCI, SFC's, UTI, SIDBI.

De-monetisation & banking industry.

**3- Business organisation & Management**

Different forms of Business organisation, Corporate social responsibility & legal aspects.

Management functions- Planning, Planning process & premises.

Organising- Organisational structure, Formal & Informal organisation, Organisational culture.

Management by objectives, Management by exception.

Corporate Governance & Business Ethics.

**4- Management and Cost Audit**

Concept, Objectives & Need of Management audit.

Need of Cost audit, Cost audit report.

Concept of Environmental audit.

**5- International Business**

Growing relevance of international business.

Balance of payments.

Export promotion techniques & incentives.

International economic institutions - IMF, World Bank, WTO.

**6- Business Statistics and Data Processing**

Data types, Data collection and analysis, Interpretation of data .

Correlation and Regression, Small Sample tests-t-test, F-test and Chi-Square test.

Data Processing- Elements, Data entry, Data processing and Computer applications.

Note- Each Multiple choice question shall be of 01 Mark

INTERVIEW- 25 Marks

Total Marks- 225

Q

Q

## परिशिष्ट-04

अर्थ एवं संख्याधिकारी परीक्षा- 2018 के विभिन्न चरणों हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक :-

अनारक्षित वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा के प्रत्येक चरण हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली, 2012, 2013 (प्रथम संशोधन), 2014 (द्वितीय संशोधन), 2015 (तृतीय संशोधन) एवं 2016 (चतुर्थ संशोधन) द्वारा निर्धारित निम्नलिखित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है :-

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी	लिखित (वस्तुनिष्ठ प्रकार) लिखित परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्रतिशत में।	साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	अनारक्षित एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	40%	45%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%	40%
3	अनुसूचित जाति श्रेणी/अनुसूचित जनजाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	30%	35%

**नोट-** सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जायेगा।